फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 209/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/216) **श्री शंकरलाल तेली बनाम श्रीमती बदामी बाई तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः-	

1. श्री कमलेश चौहान - वकील अपीलार्थी
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2

अनवान

1. श्री शंकरलाल पिता श्री कालूलाल तेली, निवासी देवतलाई (केलवा) तहसील व जिला राजसमन्द।

-अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती बदामीबाई पत्नि श्री लखमीचंद तेली, निवासी प्रेमपुरा (बामनटुकडा), तहसील व जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द।

-प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2020, प्रकरण संख्या-06/2017 बउनवानी श्रीमती बदामी बाई बनाम श्री शंकरलाल तेली व अन्य

<u>निर्णय</u>

दिनांक 06.08.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2020, प्रकरण संख्या-06/2017 बउनवानी श्रीमती बदामी बाई बनाम श्री शंकरलाल तेली व अन्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्रीमती बदामीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम बामनटुकडा में आराजी संख्या 686 रकबा 0-19 बिस्वा उसके नाम खातेदारी हक से दर्ज है और ग्राम बामनटुकडा का आराजी संख्या 1919/686 रकबा 0-19 बिस्वा भूमि श्री शंकरलाल तें के नाम दर्ज है। उसने (बदामीबाई) ने मूल आराजी संख्या 686 रकबा 1-18 भूमि दिनांक 19.11.2004 को क्रय की थी एवं इसमें से 0-19 बिस्वा भूमि श्री शंकरलाल को दिनांक 17.03.2007 को विक्रय की, विक्रय के 3 वर्ष पश्चात श्री शंकरलाल ने अपने हक से अधिक की भूमि पर पहले कच्चा व वाद में पक्का निर्माण करा दिया। उसने (बदामीबाई) ने कुछ समय पूर्व स्वयं की भूमि की नपती करवाई तो ज्ञात हुआ कि उसकी भूमि मौके पर कम है तथा श्री शंकरलाल तेली ने उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत समुचित आदेश जारी कर उसके ग्राम बामनटुकडा में स्थित आराजी नम्बर 686 की पत्थरगढ़ी करवाई जावें।
- सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रत्यर्थी-1 श्रीमती बदामीबाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 21.01. 2020 पारित किया कि ‘‘**उपलब्ध दस्तावेज ग्राम बामनटुकडा की जमाबंदी संवत् 2072-2075 अनुसार आराजी नम्बर 686 रकबा 0-19 बिस्वा प्रार्थीया के नाम दर्ज रिकार्ड है व आराजी नम्बर 1919/686 रकबा 0.19 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है भूमियां पृथक-पृथक प्रार्थी व विपक्षी के नाम**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 209/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/216) **श्री शंकरलाल तेली बनाम श्रीमती बदामी बाई तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पर अंकित है एवं विपक्षी के विशेष कथन के क्रम में प्रकरण संख्या 3/2017 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 भी खारिज किया जा चुका है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरीगढ़ी स्वीकार किया जाना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी करवाने अन्तर्गत धारा 111, सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजसमन्द को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम बामनटुकडा के आराजी नम्बर 686 रकबा 0-19 बिस्वा भूमि की पत्थरगढ़ी प्रार्थीया को करवा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।"

अधीनस्थ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2020 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 28.07.2020 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दिनांक 04.08.2020 को दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर व राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 31.07.2024 को सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि ग्राम बामनटुकडा के मूल आराजी नम्बर 686 रकबा 1-18 बीघा भूमि प्रत्यर्थी-1 के नाम पर दर्ज थी जिसमें से उसने अपीलान्ट को अपने हिस्से में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 17.03.2007 से विक्रय की और विक्रयशुदा भूमि का कब्जा आधिपत्य स्वयं प्रत्यर्थी-1 ने अपीलार्थी को सिपुर्द किया व आपसी सहमति से उक्त भूमि का विभाजन पक्षकारान द्वारा किया गया जिससे अपीलार्थी के नाम नये आराजी नम्बर 1919/686 रकबा 0-19 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रत्यर्थी-1 ने अपीलार्थी को जो भूमि विक्रय की एवं कब्जा सिपुर्द किया वही पर अपीलार्थी ने अपनी दीवार निर्मित की ऐसी स्थिति में सीमा विवाद होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्यर्थी-1 पत्थरगढ़ी के माध्यम से अपीलार्थी को बेदखल नहीं कर सकती है, न ही बेदखली को कोई अधिकार है। इसी विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द में वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बदामी देवी बनाम शंकरलाल प्रकरण संख्या 3/2017 राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगित रखा जाना था। यह प्रार्थना पत्र भी मूल वाद के पश्चातवर्ती रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे वाद के निस्तारण तक स्थगित रखा जाना था जो नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन निर्णय की प्रति हेतु दिनांक 20.02.2020 को आवेदन किया जिसकी प्रति 03.03.2020 को प्राप्त हुई, तत्पश्चात सम्पूर्ण भारत में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन लगने से अपील ससमय प्रस्तुत नहीं की जा सकी। उक्त मयाद कन्डोन करने हेतु माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2020 को आदेश पारित किया गया। अतः उक्त परिस्थिति में मध्यनजर मयाद कन्डोन की जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2020 को अपास्त फरमाया जावें।

प्रत्यर्थी तहसीलदार की ओर उपस्थित राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतयाः विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 209/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/216) **श्री शंकरलाल तेली बनाम श्रीमती बदामी बाई तेली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील मयाद बाहर पेश की। मयाद उपशमन हेतु अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रमुख कारण सम्पूर्ण भारत में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन लगने से अपील ससमय प्रस्तुत नहीं किया जाना बताया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों, अपील पर मनन करने एवं शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर प्रस्तुत अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त दौराने बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का प्रमुख उज्र रहा है कि इसी विवाद के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द में वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बदामी देवी बनाम शंकरलाल प्रकरण संख्या 3/2017 राजस्व वाद प्रस्तुत कर रखा है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी-1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगित रखा जाना था। अपीलार्थी के यह उज्र स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट अंकन है कि प्रकरण संख्या 3/2017 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 भी खारिज किया जा चुका है। अतः अपील का यह आक्षेप चलने योग्य नहीं है। उपलब्ध दस्तावेज ग्राम बामनटुकडा की जमाबंदी संवत् 2072-2075 अनुसार आराजी नम्बर 686 रकबा 0-19 बिस्वा श्रीमती बदामी के नाम दर्ज रिकार्ड है व आराजी नम्बर 1919/686 रकबा 0.19 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है भूमियां पृथक-पृथक पक्षकारान के नाम पर अंकित हैं। राजस्व नियमावली में प्रावधित किया गया है कि किसी भी खातेदार को अपनी भूमि हेतु सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराने के अधिकार है, जो निहित प्रक्रिया अपनाई जाकर वांछित कार्यवाही कराई जा सकती है। इस हेतु समस्त प्रभावित पक्षकारान को भी सुना जाकर नियमानुसार निर्णय किया जाना अपेक्षित है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्रीमती बदामी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सीमा ज्ञान/पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन किया गया जिसमें वर्तमान अपीलार्थी को भी सुना गया और बाद जांच एवं राजस्व अभिलेखों के पूर्ण परिक्षण एवं प्रस्तुत बहस पर मनन उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा एक तार्किक एवं विधि सम्मत निर्णय दिनांक 20.01.2020 पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाता है। **परिणामतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.01.2020 को यथावत रखा जाता है।** यह निर्णय किसी भी न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में कोई वाद/प्रकरण लम्बित हो तो उसमें पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगा। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	